

19-6-17



पत्राकवी पेश हुई। वकील अपीलांत  
को प्रथक-२ समय पर कार-कार  
आवाजे लगाई गई, लेकिन वकील  
अपीलांत बाहर नहीं हुए। अतः  
हस्तगत अपील अदालत बाजरी अदालत  
पैरवी में खारिज की जाती है।  
पत्राकवी निर्णय दामित कर मजबूर  
से काम की आकर, बाढ़ तक वकील  
अभियेसागर में जमा कराई  
जाए। अदेश सुनाया गया।

॥

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर